न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 106/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 चूनाराम 2 थानाराम पिसरान बादराराम 3 तुलछी पुत्री बादराराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी (खारीया तला) तहसील बाडमेर 4 मूलीदेवी पुत्री बादराराम पत्नी वींजाराम जाति जाट निवासी खेजड़ली (थुम्बली) तहसील शिव 5 पूरोदेवी पुत्री बादराराम पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी सखरोड़ा (चौखला) तहसील बायतु जिला बाडमेर।		1 बादराराम पुत्र रहींगाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी (खारीया तला) तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेड बैंक शाखा कवास जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री मेघाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री भोमाराम सियाग, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 03-10-19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 रहींगाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 804/688 रकबा 21.00 बीघा व खसरा संख्या 806/701 रकबा 06.01 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता रहींगाराम के नाम भूमि विभाजन के बाद दर्ज हुई, जिसमें से उक्त वादग्रस्त भूमि बादराराम के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी बादराराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/6–1/6 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 804/688 रकबा 21.00 बीघा व खसरा संख्या 806/701 रकबा 06.01 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम का हिस्सा भारतीय स्टेड बैंक शाखा कवास में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिव हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 03-10.19 .... को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 चूनाराम 2 थानाराम पिसरान बादराराम 3 तुलछी पुत्री बादराराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी (खारीया तला) तहसील बाडमेर 4 मूलीदेवी पुत्री बादराराम पत्नी वींजाराम जाति जाट निवासी खेजड़ली (थुम्बली) तहसील शिव 5 पूरोदेवी पुत्री बादराराम पत्नी रेखाराम जाति जाट निवासी सखरोड़ा (चौखला) तहसील बायतु जिला बाडमेर।		1 बादराराम पुत्र रहींगाराम जाति जाट निवासी जेताणियों की ढाणी (खारीया तला) तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेड बैंक शाखा कवास जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 106/2019

निर्णय दिनांक :– ......3-10-19.......

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 804/688 रकबा 21.00 बीघा व खसरा संख्या 806/701 रकबा 06.01 बीघा कुल रकबा 27.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 बादराराम का हिस्सा भारतीय स्टेड बैंक शाखा कवास में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 3-10-19....... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर — मुहर)

(नीरज मिश्र)

~~पीठासन अधिकारी~~

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	

Scanned by CamScanner